(512)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :– प.10(34)नविवि/3/01 पार्ट

दिनांक 19.09.2011

<u>परिपत्र</u>

समय समय पर विभिन्न नगर विकास न्यासों तथा विकासकर्त्ता व सी.आर.ई. डी.ए.आई. द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है कि किन्हीं दो भूखण्डों के पुनर्गठन के उपरान्त अन्य भूखण्ड का पूर्व में पुनर्गठित भूखण्ड में संयुक्तिकरण किये जाने पर सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर पुनर्गठन शुल्क व बी.एस.यू.पी. शुल्क लिया जाता है, जो उचित नहीं है।

इस संबंध में सक्षम स्तर पर विचार कर निर्णय लिया गया है कि दो भूखण्डों के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित भूखण्ड में किसी अन्य भूखण्ड का संयुक्तिकरण किये जाने पर केवल बाद में जोड़े जाने वाले भूखण्ड के क्षेत्रफल पर पुनर्गठन शुल्क लिया जावें। इसी प्रकार प्रथम चरण में पुनर्गठित भूखण्डों पर बी.एस.यू.पी. पुनर्गठन शुल्क लिया जा चुका है तो बाद में जोड़े जाने वाले भूखण्ड के क्षेत्रफल पर ही बी.एस.यू.पी. शुल्क लिया जावे। यदि पूर्व में पुनर्गठन के समय बी.एस.यू.पी. शुल्क लिया गया है तो द्वितीय पुनर्गठन के समय सम्पूर्ण पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल पर बी.एस.यू.पी. शुल्क देय होगा।

(एन.एल. मीना)
उप शासन सचिव–तृतीय